भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2917

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण

2917. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के कार्यान्वयन से पूर्व लाभार्थियों को किस मूल्य पर खाद्यान्न जारी किया गया था; और (ख) पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय बोझ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न, अधिनियम के लागू होने की तिथि (13 जुलाई, 2013) से तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए चावल, गेहूँ और मोटे अनाज क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने थे। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कीमतें तय की जानी थीं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक न हों। सरकार ने समय-समय पर कीमतों की समीक्षा की और दिसंबर 2022 तक उन्हीं रियायती कीमतों को जारी रखा।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों का वित्तीय भार कम करने और देशव्यापी एकरूपता तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को जनवरी 2024 से अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसका वहन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

*****